सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 23, गुरूवार, शाके 1943-जनवरी 13, 2022

Pausa 23, Thursday , Saka 1943- January 13, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, दिसम्बर 29, 2021

संख्या अ.वि.प्रा/प3/नियोजन/2021-22/1023 :-अजमेर विकास प्राधिकरण (योजनाओ की तैयारी एवं मंजूरी) विनियम 2021 के विनियम 4 के साथ पठित अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा (24) के अनुसरण में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 23 (योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के सम्बंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया) की उप धारा (3) में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये जोनल डवलपमेंट प्लान जोन-5 (नारेली जोन) अजमेर रीजन तैयार कर, प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.12.2021 के द्वारा अनुमोदित किया गया, जो धारा 24 (योजना प्रवर्तन की तारीख) की अनुपालना में गजट नोटिफिकेशन की दिनांक से प्रभावी होगा।

इस जोनल डवलपमेंट प्लान, जोन-5 (नारेली जोन) की प्रतिलिपियां का निरीक्षण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की आयोजना शाखा में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है, इसी के साथ-साथ विस्तृत विवरण हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर भी अवलोकन किया जा सकता है और प्रतियां अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

किशोर कुमार,
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

2564

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।